


गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना नियम



मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना नियम

गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना नियम

अनुक्रम

नियम (1)	विवरण (2)	पृष्ठ क्रमांक (3)
1.	संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ	1
2.	परिभाषा	1
	भाग-एक (साधारण नियम)	
3.	पुरस्कार योजना का विषय तथा स्वरूप	1
4.	पुरस्कार योजना की अवधि	2
5.	पुस्तक या पांडुलिपि की प्रतियों की संख्या	2
6.	पुरस्कार एवं राशि का विवरण	2
7.	पूर्व पुरस्कृत लेखकों की प्रविष्टियों पर निर्बंधन	2
8.	प्राप्त पुस्तक या पांडुलिपि पर स्वतः विचार	2
9.	योजना में भाग लेने हेतु अर्हता	3
10.	प्रकाशक का सहमति-पत्र	3
11.	प्रकाशकों की योजना में प्रविष्टि देने हेतु अर्हता	3
12.	सहयोगी लेखकों की सहमति	3
13.	संयुक्त लेखकों की स्थिति में पुरस्कार राशि का वितरण	3
14.	अनुवादित पुस्तक होने की स्थिति	3
15.	अनूदित पांडुलिपि	4
16.	पूर्व पुरस्कृत एवं पुरस्कार हेतु सम्मिलित करने का विवरण	4
17.	पत्र व्यवहार का निषेध	4
18.	अध्यक्ष का विनिश्चय	4
19.	चयन की सूचना	4
20.	पता परिवर्तन की सूचना	5
21.	दायित्व का अपवर्जन	5
22.	पुस्तक या पांडुलिपि पर विचार न करना	5
23.	योजनान्तर्गत प्राप्त पुस्तक या पांडुलिपि की वापसी	5
24.	पुरस्कृत पुस्तक या पांडुलिपि के प्रकाशन पर पुरस्कार का उल्लेख	5
25.	प्रविष्टि प्रपत्र की प्राप्ति	5
	भाग-दो (विशेष नियम)	
26.	चयन समिति का गठन	5

(1)	(2)	(3)
27.	चयन समिति का कार्यकाल	6
28.	चयन समिति के सदस्य	6
29.	चयन समिति की सदस्यता से त्याग	6
30.	चयन समिति में नामांकित व्यक्ति को सूचना एवं स्वीकृति	6
31.	चयन समिति की बैठकें	6
32.	गणपूर्ति	6
33.	चयन समिति की कार्यवाही की गोपनीयता	6
34.	निर्णय में फेरबदल करने की अध्यक्ष की शक्ति	7
35.	पुरस्कार वितरण समारोह	7
36.	पुरस्कार योजना का व्यय	7
37.	पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार	7
38.	अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति	7
39.	निर्वचन	7
परिशिष्ट		
(अ)	प्रविष्टि-प्रपत्र	9
(ब)	जीवन परिचय-प्रपत्र	11

गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना नियम विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा अपने प्राधिकार को प्रयोग में लाते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (क) ये नियम गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना नियम, 2002 कहलाएंगे.
- (ख) ये नियम 27 फरवरी, 2002 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

2. परिभाषा :

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

- (क) “पुरस्कार” से अभिप्रेत है गांधी-दर्शन पुरस्कार,
- (ख) “पुस्तक” से अभिप्रेत है मुद्रणालय द्वारा मुद्रित पुस्तक,
- (ग) “पांडुलिपि” से अभिप्रेत है मुद्रित पुस्तक से भिन्न ऐसा संकलन जो हस्तलिखित या टंकित रूप में हो, और जो चयन समिति की राय में मुद्रित होने पर पुस्तक का समुचित रूप एवं आकार ले सके और यह भी कि इसमें लघु निबंध, लेख, आलेख आदि सम्मिलित नहीं हैं।
- (घ) “सचिव” से अभिप्रेत है विधान सभा सचिव,
- (ङ) “चयन समिति” से अभिप्रेत है नियम 26 के अधीन गठित समिति,
- (च) “लेखक” से अभिप्रेत है किसी पुस्तक या पांडुलिपि का रचयिता किन्तु उसमें अनुवादकर्ता सम्मिलित नहीं है,
- (छ) “प्रकाशक” से अभिप्रेत है किसी पुस्तक का प्रकाशक,
- (ज) “प्रविष्टि प्रपत्र” से अभिप्रेत है इस पुरस्कार योजना के लिए बनाया गया प्रविष्टि प्रपत्र, जो परिशिष्ट “अ” में बनाया गया है,
- (झ) “योजना” से अभिप्रेत है गांधी-दर्शन पुरस्कार योजना।

भाग-एक (साधारण नियम)

3. पुरस्कार योजना का विषय तथा स्वरूप :

पुरस्कार हेतु राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समग्र दर्शन पर केन्द्रित हिन्दी में मौलिक प्रकाशित पुस्तकें या पांडुलिपियाँ आमंत्रित की जाएंगी।

4. पुरस्कार योजना की अवधि :

(क) इस पुरस्कार हेतु प्रत्येक वर्ष के दो कैलेन्डर वर्ष पूर्व की अवधि में प्रथम बार प्रकाशित पुस्तक या रचित पांडुलिपि को विहित प्रविष्टि प्रपत्र सहित विचारार्थ स्वीकार किया जाएगा जिसमें पुस्तक के प्रथम बार प्रकाशित होने, तथा

(ख) मौलिक तथा अनुवाद की स्थिति में तदविषयक प्रमाण-पत्र लेखक को संलग्न करना होगा और ऐसे प्रमाण-पत्र की वैधता का पूर्ण दायित्व लेखक पर अधिरोपित होगा.

(ग) प्रविष्टि प्रेषक परिशिष्ट "ब" में दर्शाए गए प्रपत्र में अपने पारपत्र आकार के एक श्वेत-श्याम छाया-चित्र सहित अपना संक्षिप्त जीवन परिचय भी प्रेषित करेगा.

5. पुस्तक या पांडुलिपि की प्रतियों की संख्या :

पुस्तक या साफ-साफ हस्तलिखित या टंकित पांडुलिपि की सात प्रतियां विचारार्थ स्वीकार की जाएंगी। पुरस्कार हेतु विहित दिनांक के उपरांत प्राप्त प्रविष्टियों अथवा अपूर्ण प्रविष्टियों को सचिव के निर्णयानुसार मूलतः लौटाया जा सकेगा.

6. पुरस्कार एवं राशि का विवरण :

इस योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार होंगे जिनके लिए क्रमशः रूपए पचास हजार, रूपए तीस हजार एवं रूपए बीस हजार की राशि दी जाएगी।

किन्तु चयन समिति की अनुशंसा पर इसमें परिवर्तन किया जा सकेगा।

परन्तु यह और भी कि योजना हेतु प्राप्त पुस्तकों या पांडुलिपियां चयन समिति द्वारा अपेक्षित स्तर की न पाई जाने की दशा में उस वर्ष का पुरस्कार निरस्त किया जा सकेगा या चयन समिति की अनुशंसानुसार चयनित पुस्तकों या पांडुलिपियों हेतु किसी भी राशि का प्रोत्साहन पुरस्कार दिया जा सकेगा।

7. पूर्व पुरस्कृत लेखकों की प्रविष्टियों पर निर्बंधन :

इस योजना के अन्तर्गत प्रथम, द्वितीय, तृतीय, प्रोत्साहन तथा अन्य किसी पुरस्कार से पुरस्कृत किसी पुस्तक या पांडुलिपि के लेखक, पुरस्कृत होने की दिनांक से दो वर्षों तक इस योजनान्तर्गत पुरस्कार हेतु प्रविष्टि नहीं दे सकेंगे।

परन्तु यह और भी कि किसी पुस्तक या पांडुलिपि का लेखक या उस लेखक की पुस्तक का प्रकाशक/अनुवादक विज्ञापित या प्रचारित योजना वर्ष के लिए अपनी एक या एक से अधिक प्रविष्टि पृथक्-पृथक् प्रविष्टि प्रपत्र पर भेज सकेगा।

8. पुस्तक या पांडुलिपि पर स्वतः विचार :

प्रत्येक वर्ष की पुरस्कार योजना विज्ञापित या प्रचारित होने के उपरांत प्रकाशित पुस्तक या रचित पांडुलिपि को चयन समिति के निर्णयानुसार विचार में लिया जा सकेगा और ऐसी पुस्तक या पांडुलिपि विहित प्रविष्टि सहित या रहित प्राप्त हुई है, यह बात चयन समिति को बाधित नहीं करेगी।

9. योजना में भाग लेने हेतु अर्हता :

- (क) प्रत्येक भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकेगा,
- (ख) मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष मध्यप्रदेश विधान सभा के कार्यालय में कार्यरत व्यक्ति इस पुरस्कार योजना में भाग नहीं ले सकेंगे.

10. प्रकाशक का सहमति-पत्र :

यदि कोई लेखक इस पुरस्कार योजना में अपनी प्रकाशित पुस्तक भेजता है तो उसे प्रविष्टि-प्रपत्र के साथ-साथ प्रकाशक का सहमति-पत्र भी अनिवार्यतः भेजना होगा.

11. प्रकाशकों की योजना में प्रविष्टि देने हेतु अर्हता :

- (क) नियम-तीन में निर्दिष्ट विषय पर पुस्तकों के प्रकाशक इस योजना में सम्मिलित किए जाने हेतु प्रविष्टि भेज सकेंगे लेकिन उन्हें लेखक की अनुमति प्रविष्टि-प्रपत्र के साथ संलग्न करके भेजनी होगी.
- (ख) कंडिका (क) के अधीन प्राप्त पुस्तक यदि चयन समिति द्वारा पुरस्कार योग्य पाई गई तो पुरस्कार उस पुस्तक के लेखक को ही दिया जाएगा प्रकाशक को नहीं.

12. सहयोगी लेखकों की सहमति :

पुरस्कार योजना हेतु प्रेषित पुस्तक या पांडुलिपि के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में प्रविष्टि प्रपत्र भेजने वाले लेखक या प्रकाशक को सहयोगी लेखकों की सहमति तथा घोषणा-पत्र भेजना होगा.

13. संयुक्त लेखकों की स्थिति में पुरस्कार राशि का वितरण :

पुरस्कृत पुस्तक के एक से अधिक लेखक होने की स्थिति में पुरस्कार राशि समान भाग में वितरित की जाएगी.

14. अनुवादित पुस्तक होने की स्थिति :

- (क) किसी पुस्तक को जो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भारतीय भाषाओं में मूलतः लिखी गई है और जो हिन्दी भाषा में अनुवाद की गई है और देवनागरी लिपि में अनूदित की गई है, इस पुरस्कार योजना में सम्मिलित की जा सकेगी.
- (ख) परन्तु यह कि प्रविष्टि-प्रपत्र के साथ यथास्थिति अनुवादक या मूल लेखक या प्रकाशक को जो इस योजना में प्रविष्टि प्रपत्र भेज रहा है,
- (अ) अनुवादक की स्थिति में मूल लेखक एवं प्रकाशक की,

- (ब) मूल लेखक की स्थिति में अनुवादक एवं प्रकाशक की,
- (स) प्रकाशक की स्थिति में अनुवादक एवं मूल लेखक की, अनुमति अनिवार्य रूप से भेजनी होगी.
- (ग) इस खण्ड के अधीन प्राप्त एवं पुरस्कृत पुस्तक की पुरस्कार राशि अनुवादक एवं मूल लेखक को समानुपातिक रूप से दी जाएगी.
- (घ) उपरोक्त खंड 14 (ग) में किसी बात के होते हुए भी ऐसी पुस्तक के एक से अधिक अनुवादक या एक से अधिक मूल लेखक होने पर पुरस्कार राशि समान भाग में वितरित की जा सकेगी परन्तु यह और भी कि ऐसे एक से अधिक अनुवादक या एक से अधिक लेखक की सहमति प्रविष्टि प्रपत्र के साथ ही प्राप्त होने पर उस पुस्तक को इस पुरस्कार योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा.

15. अनूदित पांडुलिपि :

इस योजना हेतु अनूदित पांडुलिपि स्वीकार नहीं की जा सकेगी.

16. पूर्व पुरस्कृत एवं पुरस्कार हेतु सम्मिलित करने का विवरण :

इस पुरस्कार योजना में भेजी गई किसी पुस्तक या पांडुलिपि को पूर्व में यदि कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो या उसे अन्य किसी पुरस्कार योजना में सम्मिलित करने हेतु भेजा गया है तो तत्संबंधी विवरण यथास्थिति लेखक या लेखकों, अनुवादक या अनुवादकों या प्रकाशक द्वारा संलग्न किया जाना चाहिए.

17. पत्र व्यवहार का निषेध :

इस पुरस्कार योजना के अन्तर्गत प्राप्त पुस्तकों या पांडुलिपियों के पुरस्कार एवं चयन प्रक्रिया बाबत् लेखक, अनुवादक या प्रकाशक से सामान्यतः कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा.

परन्तु प्रविष्टि प्राप्त होने की सूचना इस सचिवालय द्वारा यथाशीघ्र प्रविष्टि प्रेषक को भेजी जाएगी.

और यह भी कि प्रविष्टि भेजने वाले को चयन समिति का निर्णय सार्वजनिक होने पर यथाशीघ्र सूचित किया जाएगा.

18. अध्यक्ष का विनिश्चय :

पुरस्कार से संबंधित सभी मामलों में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का निर्णय अंतिम होगा और इस बाबत् कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जा सकेगा.

19. चयन की सूचना :

पुस्तक या पांडुलिपि के चयन की सूचना संबंधित लेखक, अनुवादक या प्रकाशक को प्रविष्टि प्रपत्र में उल्लिखित पते पर ऐसी रीति से दी जा सकेगी जो कि युक्तियुक्त हो.

20. पता परिवर्तन की सूचना :

इस योजना में सम्मिलित किसी पुस्तक या पांडुलिपि के लेखक, अनुवादक या प्रकाशक के पते में प्रविष्टि-प्रपत्र भेजने के उपरांत कोई परिवर्तन होता है तो उसकी सूचना यथासंभव शीघ्र मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय को भेजी जानी चाहिए.

21. दायित्व का अपवर्जन :

इस योजना में सम्मिलित करने के लिए भेजी गई पुस्तक या पांडुलिपि के डाक में या परिवहन में खो जाने, विकृत या विनष्ट हो जाने या विच्छिन्न हो जाने पर मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय दायित्वाधीन नहीं होगा.

22. पुस्तक या पांडुलिपि पर विचार न करना :

इस योजना के अन्तर्गत समुचित रूप से प्राप्त पुस्तक या पांडुलिपि पर किसी कारणवश चयन हेतु विचार न करने विषयक लेखक, अनुवादक या प्रकाशक के अनुरोध पर तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी जब तक कि अनुरोधकर्ता ऐसा न करने के स्पष्ट कारण न बताए और यह भी कि अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करना युक्तिसंगत होगा.

23. योजनान्तर्गत प्राप्त पुस्तक या पांडुलिपि की वापसी :

इस योजना के तहत प्राप्त पुस्तक या पांडुलिपि की उतनी प्रतियां जितनी की उचित समझी जाएंगी, यथास्थिति लेखक, अनुवादक या प्रकाशक को लौटाई जा सकेंगी और इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा.

24. पुरस्कृत पुस्तक या पांडुलिपि के प्रकाशन पर पुरस्कार का उल्लेख :

इस पुरस्कार योजनान्तर्गत पुरस्कृत किसी पुस्तक के अग्रेतर संस्करण निकलने पर या पांडुलिपि के प्रकाशित होने पर, प्राप्त पुरस्कार का उसमें जिस रीति से ठीक समझा जाए, उल्लेख होना चाहिए और इस बात की सूचना मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय को भेजी जानी चाहिए.

25. प्रविष्टि प्रपत्र की प्राप्ति :

पुरस्कार योजना से संबंधित प्रविष्टि प्रपत्र निर्धारित तिथि तक सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल से डाक द्वारा या शासकीय अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में निःशुल्क प्राप्त किए जा सकेंगे.

भाग-दो (विशेष नियम)

26. चयन समिति का गठन :

- (अ) अध्यक्ष, विधान सभा इन नियमों के प्रयोजनार्थ एक समिति गठित कर सकेंगे जो चयन समिति के नाम से अभिहित होगी,

- (ब) समिति में चार से अन्यून और छः से अनधिक सदस्य होंगे, और
- (स) उन्हीं में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष द्वारा सभापति, नामित किया जा सकेगा.
- (द) सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय पुरस्कार चयन समिति के पदेन सचिव होंगे.

27. चयन समिति का कार्यकाल :

साधारणतया समिति का कार्यकाल उस वर्ष के लिए होगा जिस वर्ष के लिए वह गठित की जाएगी परन्तु अध्यक्ष की अनुमति से वह समिति अगले वर्ष भी कार्य कर सकेगी।

28. चयन समिति के सदस्य :

चयन समिति में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उन व्यक्तियों को सदस्य नामांकित कर सकेंगे जो उनके मत में सुविज्ञ संसदविद् या विषय विशेषज्ञ हों।

29. चयन समिति की सदस्यता से त्याग :

चयन समिति में नामांकित कोई सदस्य या सभापति समिति में नहीं बने रहना चाहता तो वो लिखित या मौखिक रूप से सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा को सूचित करेगा और ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अध्यक्ष चयन समिति में किसी अन्य व्यक्ति को सदस्य या सभापति नामित कर सकेंगे।

30. चयन समिति में नामांकित व्यक्ति को सूचना एवं स्वीकृति :

नियम 26 के अधीन नामित व्यक्ति को चयन समिति का सदस्य नामांकित किए जाने की सूचना दी जाएगी और उनसे औपचारिक स्वीकृति प्राप्त की जाएगी और यह भी कि ऐसी स्वीकृति प्राप्त न होने की दशा में अध्यक्ष, किसी अन्य व्यक्ति को नामांकित कर सकेंगे।

31. चयन समिति की बैठकें :

चयन समिति ऐसे स्थान एवं समय में, जैसा कि वह उचित समझे अध्यक्ष, विधान सभा की अनुमति से बैठकें कर सकेगी।

32. गणपूर्ति :

चयन समिति की गणपूर्ति सभापति के अतिरिक्त दो अन्य सदस्यों की उपस्थिति से होगी।

33. चयन समिति की कार्यवाही की गोपनीयता :

चयन समिति की शब्दशः कार्यवाही प्रतिवेदित की जाएगी और उसे तब तक सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा जब तक कि अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा उस निर्णय की पुष्टि नहीं कर देते।

34. निर्णय में फेरबदल करने की अध्यक्ष की शक्ति :

चयन समिति की किसी सिफारिश को स्वीकार करने या न करने या अंशतः स्वीकार करने की शक्ति अध्यक्ष में निहित होगी।

35. पुरस्कार वितरण समारोह :

- (क) पुरस्कारों का वितरण ऐसे स्थान एवं समय में एवं ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें।
- (ख) पुरस्कृत महानुभावों को पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मिलित होने के लिए की जाने वाली यात्रा के मार्ग व्यय एवं दैनिक भत्ते का भुगतान समुचित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं को यात्रा तथा दैनिक भत्ते उस दर से दिये जायेंगे जिस दर से मध्यप्रदेश शासन के प्रथम श्रेणी राजपत्रित अधिकारी को प्रदान किये जाते हैं।

36. पुरस्कार योजना का व्यय :

इस पुरस्कार योजना के संचालन में व्यय होने वाला धन विधान सभा सचिवालय कार्यालय व्यय की मद से प्राप्त किया जाएगा।

37. पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार :

पुरस्कार योजना का प्रचार-प्रसार ऐसी रीति से किया जा सकेगा जैसा कि अध्यक्ष निर्देश दें।

38. अध्यक्ष द्वारा आदेश जारी करने की शक्ति :

अध्यक्ष समय-समय पर सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इन नियमों के अधीन ऐसे आदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे सचिवीय परामर्श से उचित समझें।

39. निर्वचन :

इन नियमों के निर्वचन संबंधी समस्त प्रश्न अध्यक्ष, विधान सभा को निर्दिष्ट किए जाएंगे जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

मध्यप्रदेश की विधान सभा के अध्यक्ष के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डॉ. ए. के. पवासी)
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल।

परिशिष्ट-अ

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल

गांधी-दर्शन पुरस्कार

प्रविष्टि-प्रपत्र

लेखक/अनुवादक
का
पासपोर्ट आकार का
श्वेत-श्याम छायाचित्र

- | | | | | | |
|-----|---|-----|-------|---------|----------|
| 1. | लेखक का नाम | : | | पिन कोड | दूरभाष |
| 2. | जन्मतिथि एवं जन्म स्थान | : | | | |
| 3. | वर्तमान पता (पत्राचार हेतु) | : | | | |
| 4. | स्थायी पता | : | | | |
| 5. | व्यवसाय (यदि सेवारत हों तो संस्था
का नाम/पता) | : | | | |
| 6. | विचार हेतु प्रेषित पुस्तक/पांडुलिपि का
शीर्षक एवं पृष्ठ संख्या. | : | | | |
| 7. | प्रकाशन/लेखन का वर्ष | : | | | |
| 8. | रचना की प्रकृति मौलिक/रूपांतर/अनुवाद | : | | | |
| 9. | यदि कार्य किसी अन्य व्यक्ति के साथ
संयुक्त रूप से किया गया है तो :
(अ) सहयोगी का नाम | : | | | |
| | (ब) जन्मतिथि एवं स्थान | : | | | |
| | (स) पता | : | | | |
| | (द) व्यवसाय | : | | | |
| | (कृपया पुरस्कार योजना में सम्मिलित होने
के लिये सहयोगी की सहमति संलग्न करें). | | | | |
| 10. | दो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के नाम और पते :
जो लेखक के रूप में आवेदक के योगदान
से परिचित हों : | (1) | | पिन कोड | / दूरभाष |

पिन कोड / दूरभाष

/ दूरभाष

11. यदि प्रेषित कृति प्रकाशित पुस्तक है तो :-

(अ) प्रकाशक का नाम एवं पता :
.....

(ब) प्रकाशन वर्ष :

(स) क्या पूर्व में इसा कृति पर कोई पुरस्कार मिला है? :

(द) क्या इसी कृति को अन्य किसी पुरस्कार योजना में सम्मिलित करने हेतु भेजा गया है?

(स एवं द के उत्तर यदि “हाँ” में हों
तो कृपया पृथक् विवरण संलग्न करें).

(इ) स्वत्वाधिकारी का नाम एवं पता :
.....

पिन कोड / दूरभाष

/ दूरभाष

(फ) क्या प्रकाशक द्वारा पुरस्कार योजना में पुस्तक को सम्मिलित करने की स्वीकृति दी गई है?

(यदि 'हाँ' तो कृपया संलग्न करें)

12. यदि प्रेषित कृति पांडुलिपि है, तो :—

(अ) इसके प्रकाशन हेतु क्या प्रयास
किए गए हैं? :

(ब) इसके कब तक प्रकाशित होने की संभावना है? :

(स) क्या इसका कोई भाग या अंश किसी पत्रिका में प्रकाशित हो चुका है? :

(यदि हाँ तो कृपया स्पष्ट विवरण दें)

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि प्रपत्र में दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं, पुस्तक का मुख्य रचनाकार, अनुवादक या प्रकाशक हूँ तथा पुरस्कार के संबंध में अध्यक्ष, मध्यप्रदेश विधान सभा के सभी निर्णयों से आबद्ध रहूंगा/रहूंगी। यदि किसी स्तर पर प्रपत्र की कोई जानकारी असत्य पाई जाए तो इस संबंध में मेरे विरुद्ध समस्त वैधानिक कार्यालयों का दृष्टि पापका परिवार का पार्षद अधिकार प्रतिवाद प्राप्त करने के लिए

1911

१०४

(आवेदक के पर्ण हस्ताक्षर)

जीवन परिचय-प्रपत्र

लेखक/अनुवादक
का
पासपोर्ट आकार का
श्वेत-श्याम छायाचित्र

1.	नाम	:
2.	पिता/पति का नाम	:
3.	जन्मतिथि एवं स्थान	:	अंकों में शब्दों में
4.	शिक्षा	:
5.	व्यवसाय	:
	यदि सेवारत हैं तो पदनाम	:
6.	अभिरूचि	:
7.	वैवाहिक स्थिति	:
8.	विशेष उपलब्धियाँ/प्रकाशन/पुरस्कार आदि	:
9.	वर्तमान पता, दूरभाष क्रमांक	:
10.	स्थायी पता, दूरभाष क्रमांक	:
11.	यदि सेवारत हैं तो संस्था का नाम/पता दूरभाष सहित.	:

मैं घोषणा करता हूँ / करती हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर सत्य है. उक्त जानकारी के संबंध में संपूर्ण जवाबदारी मेरी रहेगी.

भवदीय,

स्थान	(हस्ताक्षर)
दिनांक	पूरा नाम
	पता
